राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 16 / 2019

1. चोथुराम पुत्र सागर नवीरा गणपत उम्र 50 वर्ष
2. द्वारका पुत्र सागर नवीरा गणपत उम्र 47 वर्ष जाति कुम्हार निवासी बड़ाउ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादीगण

ब–ना–म

1. ग्यारसीलाल पुत्र सागर नवीरा गणपत उम्र 53 वर्ष
2. अन्चुका पुत्री मूलचन्द
3. कमल सिंह पुत्र स्व. गीगाराम
4. प्रभातीलाल पुत्र स्व. गीगाराम
5. सांवरमल पुत्र स्व. गीगाराम
6. सुन्दरी देवी पत्नी स्व. घडसीराम पुत्रवधू गीगाराम
7. दिनेश कुमार पुत्र स्व. घडसीराम पुत्रवधू गीगाराम
8. आंचकी देवी पत्नी स्व. रोहिताश पुत्रवधू घडसीराम
9. मुकेश पुत्र स्व. रोहिताश नवीरा घडसीराम
10. विरेन्द्र पुत्र स्व. रोहिताश नवीरा घडसीराम
11. अनुज पुत्र स्व. रोहिताश नवीरा घडसीराम
12. सुमन पुत्री रोहिताश
13. डालूराम पुत्र मूलचन्द
14. धर्मपाल पुत्र मूलचन्द
15. नीरा पुत्री मूलचन्द
16. मक्खनलाल पुत्र मूलचन्द
17. रेशम पुत्र मूलचन्द
18. रामनिवास पुत्र मूलचन्द
19. सुण्डी पुत्री मूलचन्द
20. समाकोर पत्नी मूलचन्द
21. रामजीलाल पुत्र मालाराम जाति कुम्हार निवासी बड़ाउ तहसील खेतड़ी।
22. बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बड़ाउ जरिये शाखा प्रबंधक।
23. भूमि धारक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

..........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक, रिकॉर्ड दुरुस्ती

निर्णय **दिनांक :– 07–10–2020**

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम बड़ाउ तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2029 से 2032 के गत ख.नं. 1077 रकबा 9 बिस्वा, गत ख.नं. 1078 रकबा 1 बिस्वा, गत ख.नं. 1079 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, गत ख. नं. 1352 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा, गत ख.नं. 1365 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा, गत ख.

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.10.27 12:45:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नं. 532 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, गत ख.नं. 1047 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 56 बीघा 18 बिस्वा भूमि का एकांकी खातेदार काश्तकार गणपत पुत्र हुक्मा कुम्हार दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि के खातेदार गणपत पुत्र हुक्मा कुम्हार के चार पुत्र सागर, मूलचन्द, गीगाराम व मालाराम पैदा हुए तथा सागर का देहान्त गणपत पुत्र हुक्मा से पहले ही हो गया था। जब गणपत पत्र हुक्मा का देहान्त हुआ तो विरासतन नामांतकरण गीगाराम, मालाराम व मूलचन्द पुत्रान गणपत का 3/4 हिस्सा व ग्यारसीलाल पुत्र सागर का 1/4 हिस्सा दर्ज होकर संवत् 2033 से 2036 की जमाबंदी की खातेदारी दर्ज हुई। जबकि वादीगण भी ग्यारसीलाल के सगे भाई हैं व सागर के जायन्दा पुत्र व गणपत के पौते है जिनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुए जिससे वादीगण की भारी हकतलफी है। वादीगण व प्रतिवादीगण स्व. गणपत पुत्र हुक्मा के वारिशान है। तथा वाद के खण्ड नं. 1 में वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है जिसमें गणपत के चारो पुत्र सागर, मूलचन्द, गीगाराम, मालाराम का 1/4, 1/4 हिस्सा है तथा सागर के तीन पुत्र वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 हुए इसलिये सागर के 1/4 हिस्से में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा यानि 1/12, 1/12 हिस्सा हुआ तथा इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 काबिज काश्त है एवं अन्य प्रतिवादीगण अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। दौराने पैमाईश गत ख.नं. 1077, 1078, 1079, 1352, 1365, 532, 1047 के हाल ख.नं. 264 रकबा 0.40 है., ख.नं. 265 रकबा 1.35 है., ख.नं. 1237 रकबा 2.10 है., ख.नं. 1244 रकबा 1.12 है., ख.नं. 1245 रकबा 1.29 है., ख.नं. 1407 रकबा 0.17 है., ख.नं. 1408 रकबा 0.24 है., ख.नं. 1409 रकबा 0.16 है., ख.नं. 1410 रकबा 0.02 है., ख.नं. 1411 रकबा 0.03 है., ख.नं. 1412 रकबा 0.04 है., ख.नं. 1413 रकबा 0.17 है., ख.नं. 1417 रकबा 0.12 है., ख.नं. 1587 रकबा 2.69 है., ख.नं. 1699 रकबा 1.41 है., ख.नं. 1941 रकबा 2.30 है. कुल किता 16 कुल रकबा 13.61 है. बने हैं जो हाल जमाबंदी संवत् 2073 लगायत 2076 में खाता सं. 469 में दर्ज है। सागर के हिस्से की भूमि अकेले प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज होने से वादीगण की भारी हकतलफी है। इसलिये वादीगण उक्त भूमि का रिकार्ड दुरूस्त करवाकर सागर के 1/4 हिस्से में अपने को 1/3, 1/3 अर्थात् 1/12, 1/12 हिस्से का खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है। इसलिये वादीगण को यह वाद घोषणात्मक रिकार्ड दुरूस्ती पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम बड़ाउ स्थित भूमि हाल खाता सं. 469 के ख.नं. 264 रकबा 0.40 है., ख.नं. 265 रकबा 1.35 है., ख.नं. 1237 रकबा 2.10 है., ख.नं. 1244 रकबा 1.12 है., ख.नं. 1245 रकबा 1.29 है., ख.नं. 1407 रकबा 0.17 है., ख.नं. 1408 रकबा 0.24 है., ख.नं. 1409 रकबा 0.16 है., ख.नं. 1410 रकबा 0.02 है., ख.नं. 1411 रकबा 0.03 है., ख.नं. 1412 रकबा 0.04 है., ख.नं. 1413 रकबा 0.17 है., ख.नं. 1417 रकबा 0.12 है., ख.नं. 1587 रकबा 2.69 है., ख.नं. 1699 रकबा 1.41 है., ख.नं. 1941 रकबा 2.30 है. कुल किता 16 कुल रकबा 13.61 है. में वादीगण को 1/12, 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद किया जावे एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्से के स्थान पर 1/12 हिस्सा दर्ज किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 व वादीगण ने उपस्थित होकर आपसी सहमति का राजीनामा दिनांक 7.10.2020 को पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। शेष प्रतिवादीगण सं. 2 लगा. 21 के विरूद्ध वादीगण को कोई अनुतोष नहीं चाहे इसलिए प्रतिवादीगण सं. 2 लगा. 21 की तलवी बन्दी की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.10.27 12:45:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वादीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2029–32 (प्रदर्श–1), संवत् 2033–36 (प्रदर्श–2), मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–3), जमाबंदी संवत् 2049–52 (प्रदर्श–4 व 5), संवत् 2065–68 (प्रदर्श–6), संवत् 2073–76 (प्रदर्श–7) पेश किये तथा साक्ष्य में शपथ पत्र चोथुराम पुत्र सागर भी पेश किया।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत आपसी सहमति राजीनामा दिनांक 07.10.2020 के मुताबिक वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम बड़ाऊ तहसील खतड़ी स्थित आराजी खाता सं. 469 जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खसरा नंबर 264, 265, 1237, 1244, 1245, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1417, 1587, 1699, 1941 कुल किता 16 कुल रकबा 13.61 है भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ग्यारसीलाल पुत्र सागर हिस्सा 1/4 के स्थान पर हिस्सा 1/12 दुरूस्त किया जाकर वादीगण प्रत्येक को 1/12–1/12 हिस्से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07–10–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/10/2020

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.10.27 12:45:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner